Maharaja Ganga Singh University, Bikaner

NH-15, Jaiselmer Road Bikaner

F./MGSU/Store Deptt/2016/ 8340 Date 25/04/16

Tender Notice

Sealed Tenders are invited under rate contract from authorized firms for which details are mentioned hereunder:

1. From Microsoft Authorized Firms for Campus Agreement Renewal (for 100 Users) having estimated cost of Rs.3.25 lacs (approx.) withEMD (Rs.6500) & Tender fee (Rs.200).
2. Hiring of Vehicle having estimated cost of Rs. 9 lacs (approx.) with EMD (Rs.18000) & Tender fee (Rs.200).
   Tenders will not be accepted without EMD/Tender Fees.The tender form with terms & conditions may be downloaded from university website **www.mgsubikaner.ac.in** and **http://sppp.rajasthan.gov.in.**Separate sealed Tenders for each work where Tender name is specifically written along with EMD and Tender Fees must be deposited in the Comptroller's Office upto 05.05.16 till 01:00 p:m which will be opened same ~~day~~ at 03:00 p:m. Tenders will not be accepted through post.

Comptroller

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

किराए पर वाहन हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

निविदा–पत्र

कार्य का नाम–	विश्वविध्यालय में किराए पर वाहन आपूर्ति	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	दिनांक 05.05.16 मध्यान्ह 01:00 बजे तक
निविदा कमांक–		निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 05.05.16 मध्यान्ह 01:00 बजे तक
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रू. 9,00,000/- रु. 18,000/- रू. 200/-		

1. ....(कार्य का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम (मय दूरभाष/मो.न.) ....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या...(प्रति संलग्न है।)
4. किनको सम्बोधित किया गया..
5. संदर्भ..
6. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद.................एवं दिनांक........................द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या..........................के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
7. हम.............................द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ...... में वर्णित सभी षर्तो से तथा संलग्न षीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
8. उपर उद्धत की गई दरें **तीन** वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

9. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या....................जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक ....रूपये ....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।

10. निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर **(वैट)** चुकता पत्र संलग्न है।

11. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है। (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

विश्वविध्यालय में परीक्षात्मक एवं अन्य कार्य हेतु किराए पर लिए जाने वाले वाहन की दर अनुसूची

क्रं. सं	वाहन का प्रकार अंकित करें	क्षमता व मॉडल (निविदा शर्तानुसार)	किराया प्रति माह (डीजल रहित)
1			

हस्ताक्षर निविदादाता

वित्त नियंत्रक

1. जिस निविदादाता की दर अनुमोदित होती है उसे न्यू ब्राण्ड पिकअप **या** विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार **अन्य समान मापदंडानुसार वाहन** कय कर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार बॉडी एवं वांछित डिजायन क्षमताअनुसार स्वयंम की लागत पर तैयार करवाकर विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाना होगा जिसका तीन वर्ष तक मालिकाना हक विश्वविद्यालय का ही होगा । **वाहन** उपयोग न होने की स्थिति में भी विश्वविद्यालय के गैराज में रखना होगा । विश्वविद्यालय द्वारा वाहन का औसत निर्धारित किया जायेगा जिसके आधार पर प्रयोग मे लिये गये वाहन की लॉग बुक में दर्शित किलोमीटर **अनुसार** डीजल के लिये किये गये भुगतान का **पुनर्भरण** विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा । वाहन को विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार असीमित किलोमीटर तक चलाया जा **सकेगा** ।
2. निविदा के साथ राशि रूपये 18,000/–अमाना/बयान राशि जमा करवानी होगी जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
3. जमा प्रतिभूति की रकम अनुबन्ध पूर्ण होने के बाद लौटा दी जावेगी । प्रतिभूति /अमानत/बयाना की राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा । यदि सफल निविदादाता सूरक्षा निक्षेप की राशि जमा करवाने में असफल रहता है या एग्रीमेंट नहीं करता है तो इस प्रकार विफल रहने की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर बयाना/अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी
4. निविदादाता को निविदा **में अनुमोदित होने की स्थिति में** जिला परिवहन अधिकारी से नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
5. वाहन के प्रदूषण मुक्त होने एवं फिटनेस का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
6. वाहन के चालू हालात में रखने एवं वाहन चालक की व्यवस्था के लिये वाहन मालिक जिम्मेदार होगा । यदि वाहन चालक लापरवाही करेगा या मादक द्रव्यों का सेवन करेगा या अनुबंध शर्तों के विरूद्व अन्य कोई कार्य करेगा तो वाहन मालिक तुरन्त अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करेगा अन्यथा अनुबंध निरस्त करते हुये सुरक्षा राशि जब्त करने का अधिकार विभाग को होगा ।
7. वाहन मे किसी भी प्रकार की टूटफूट चालान चोरी तथा ऐक्सीडेंट होने पर उसके लिये वाहन मालिक ही उतरदायी होगा । विश्वविद्यालय की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नही होगी । तथा किसी भी प्रकार के मुआवजे इत्यादि की भरपायी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी । वाहन मालिक ही पूर्ण रूपेण ही जिम्मदार होगा तथा मूआवजे की भरपायी करेगा ।
8. लम्बी यात्रा के दौरान अतिरिक्त वाहन चालक की आवश्यकता होने पर उसकी व्यवस्था निविदादाता द्वारा अपनी लागत पर करनी होगी ।

9. आवश्यकता अनुसार वाहन में परीक्षा सामग्री के पैकेट आदि के लोडिंग/अनलोडिंग की व्यवस्था अनुमोदित निविदादाता/ठेकेदार से करवायी जा सकती है । जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाकर किया जा सकेगा ।
10. निविदा में प्रस्तुत दरें समस्त व्ययों तथा कर बीमा भार, रख–रखाव, वाहन चालक व्यय आदि सहित होना चाहिये एवं सर्विस टैक्स भी निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा
11. वाहन सवारी ढोने वाला नही होना चाहिये ।
12. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा । दरों का अंकन अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जावें । आव्श्यक हो तेा अंकों एवं शब्दों में अंकित दर में भिन्नता की स्थिति में शब्दों व अंकों में अंकित कम दरों को मान्य कर दिया जावेगा ।
13. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंस धारी चालक द्वारा ही चलाये जायेगे तथा वाहन से संबंधित समस्त कागजात एवं वैद्य लाइसेंस एवं परमिट चालाक को सदैव साथ रखने होगे । चालक का खर्चा विश्वविद्यालय द्वारा वहन नहीं किया जायेगा ।
14. समस्त कर (पथ कर आदि) फर्म को ही वहन करने होंगे तथा परमिट भी यदि आवश्यक हो तो फर्म को स्वयं अपने ही खर्च पर प्राप्त करना होगा ।
15. किसी भी यान्त्रित/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि विश्वविद्यालय को अतिरिक्त मूल्य वाहन की व्यवस्था करने पर वहन करना होता है तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जावेगी ।
16. वाहन चालन द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
17. परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाये रखने हेतु फर्म अथवा वाहन चालक या उसके प्रतिनिधी द्वारा रवाना होने, पहुचने, परिवहन की जाने वाली सामग्री एवं रूट आदि के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जावेगी ।
18. वाहन चालक को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये समय पर ही परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री पहुचांने हेतु विशेष सर्तकता एवं गोपनीयता बरतनी होगी ।
19. निविदा में दी गयी दरें तीन वर्ष के लिये मान्य होगी किन्तु आवश्यकता पडने पर आपसी सहमति पर आव्श्यकता अनुसार अवधि में वृद्वि की जा सकेगी लेकिन इसके लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।
20. यदि भुगतान योग्य राशि आयकर देय हुआ तो ठेकेदार के बिल से राशि की कटौति नियामानुसार कर दी जायेगी ।
21. सफल निविदाकार निविदा की यथावत क्रियान्वति के लिये निविदा के अध्याधिन प्रतिभूति राशि के रूप में 5 प्रतिशत राशि नकद/डीडी द्वारा जमा करवानी होगा । इस जमा प्रतिभूति/धरोहर राशि पर किसी प्रकार से ब्याज की कोई राशि देय नहीं होगी ।

22. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा की प्रत्येक वाहन विश्वविद्यालय कार्य हेतु प्रयुक्त होना है में किलोमीटर रिंडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से चल रहा है।
23. किसी स्थान विशेष की विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रिंडीग असामान्य रूप से परिवर्तित होना प्रतीत होती है तो किमी का निर्धारण पीडब्लुडी/रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान उसी अनुरूप किया जा सकेगा ।
24. अनुबंध के पूर्व अथवा अनुबंधों के समय समस्त वाहनों के प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रेशन पत्र व वाहन चालक का लाइसेन्स आदि मूल ही विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा मगाए जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे ।
25. अनुबन्ध की अवधि में किसी भी संविदा विरूद्व स्थिति फर्म द्वारा यदि उत्पन्न होती है अथवा निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पुरा किया है तो विश्वविद्यालय को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को पूर्ण अथवा अंशत जब्त करने का अधिकारी सुरक्षित होगा ।
26. किसी भी वैधानिक वाद की स्थिति में फर्म द्वारा संस्थित किये जाने वाले दावे यदि आव्यकता पड तो बीकानेर शहर में सित न्यायालयों में ही प्रारम्भ करने होंगे किसी अन्य स्थान पर नही।
27. निविदा सूचना प्रपत्र में सलग्न समस्त शर्तों का पालन करने की सहमति देने के प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने है ।
28. अनबंध की अवधि में अनमोदित दरों में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
29. सामान्यत वाहन बीकानेर के स्थानीय महाविद्यालय के साथ राजस्थान राज्य में स्थित शहरों/कस्बों में ही भेजे जायेगें किन्तु आवश्यकता पडने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते है ।
30. बीकानेर शहर में अथवा शहर से बाहर वाहन भेजे जाने पर देय सीमा शुल्क व टोल–टैक्स विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा ।
31. किसी भी वाद की स्थिति में कुलपति महोदय की निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा । निलमों एवं शर्तों की व्याख्या व उसमें किसी प्रकार की शिथिलता का अधिकार कुलपति महोदय में ही निहित होगा ।
32. निविदादातओं की ओर से कोई भी जोडी गयी शर्त अथवा सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।
33. किसी भी निविदादाता को यदि पूर्व की कोई भी धरोहर प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय में जमा है तो ऐसी पूर्व की जमा राशि यहां इस निविदा के साथ धरोहर/प्रतिभूति राशि के लिये मान्य नहीं होगी ।

34. न्यूनतम दर पर कार्य आदेश देने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है ।
35. निविदादाता द्वारा बिल मासिक रूप से प्रस्तुत करने होंगा । विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को सामान्यतः भुगतान बिल में यदि को कमी नहीं हे तो बिल प्राप्त होने की तारीख से अधिकताम एक माहर की अवधि (अपरिहार्य परिस्थिति को छोडकर)में भुगातन कर दिया जायेगा ।
36. सफल निविदाकर अपनी निविदा अथवा उसके सारभूति किसी भी भग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा एवं नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा ।
37. अनुमोदित प्रदायक की दरें स्वीकृत किये जाने एवं कार्यादेश दिये जाने पर रूपये 500/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुरूप इकरारनामा 3 दिवस की अवधि में निष्पादित करना होगा ।
38. वाहन पंजीयन टी. पी. जी अथवा यू श्रेणी का होना चाहिये ।
39. बयाना राशि निम्न परिस्थितयों जब्त कर ली जायेगी ।
   1 निविदा स्वीकृति वापस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरीत कर देता है ।
   2 निर्धारित अवधि में करार का निष्पादन नहीं करता है ।
   3 निहित समय के भीतर आपूर्ति आदेश के अनुसार वाहन उपलब्त कराने पर विफल रहता है ।
40. वाहन कार्यादेश के अनुसार उपलब्ध नहीं करवाने पर निविदा निरस्त करके धरोहर राशि जब्त की जायेगी तथा अन्य व्यवस्था संवेदक के रिस्त एण्ड कोस्ट पर की जायेगी तथा हुये अधिक भुगतान की वसूल संवेदक से की जावेगी । बकाया देय राशि नहीं होने के स्थिति में राशि पीडीआर के तहत् वसूली की जायेगी ।
41. निविदा एंव अनुबंध के संबंध में अन्य शर्त अन्य नियम जिनका उल्लेख उपर नही किया गया है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
42. निविदा को निरस्त करने का अधिकार कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को होगा ।
43. प्रतिभूति निक्षेप का संपहरण प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में समपहृत किया जावेगा ।
   1 जब संविदा की शर्तो का उल्ल्घंन किया गया हेा ।
   2 जब निविदा दाता वाहन उपलब्ध करवाने असफल रहा हो ।
   3 प्रतिभूति निक्षेप राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा, इस संबंध में कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा ।
44. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायगी ।

45. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र बीकानेर न्यायालय होगा ।

46. निविदादाता यह सुनिश्चित कर ले की उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक का व्यवहार शालिन हो । वाहन चालक के व्यवहार के संबंध में कार्यालय की लिखित/मौखिक शिकायत पर निविदादाता को वैक्लपिक वाहन चालक की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी

47. वाहन चालक संबंधित अधिकारी की सक्षम स्वीकृति लिये जाने की उपरान्त ही बदला जायेगा ।

48. किसी भी वाहन कार्य पर बाल श्रमिक को नहीं लगाया जा सकेगा । कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये । यदि कार्य करते समय वाहन की दुर्घटना हो जाती है तो उसके कर्मचारी को कोई चोट लग जाती है उसका पूर्ण उत्तदायित्व निविदादाता का होगा । इसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा 24 घण्टे में देनी होगी ।

वित्त नियंत्रक